EW/124/100

112

# समक्ष माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश श्रंखला न्यायालय

## भोपाल म0प्र0

आवेदक अभिभाषक श्री श्यामलाल वर्मा द्वारा भोपाल केंप में दिनांक 28/12/17 को प्रस्तुत किया। 28/12/17

प्र.कं.- /

1. भगवान सिंह आत्मज स्व. श्री छोटेलाल रघुवंशी आयु लगभग 61 वर्ष PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2018/0356
2. भगवत सिहं आ. श्री विष्णु प्रसाद रघुवंशी आयु लगभग 40 वर्ष
3. शीला बाई पत्नि भगवान सिंह रघुवंशी आयु लगभग 56 वर्ष
4. जितेन्द्र सिंह आ. भगवान सिंह रघुवंशी आयु वयस्क सभी निवासी-ग्राम देवरी तहसील उदयपुरा जिला रायसेन ........... अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1. श्रीमती श्याम बाई पुत्री छोटेलाल पत्नि बालमुकुंद आयु लगभग 70 वर्ष निवासी-ग्राम डूंगारिया तहसील उदयपुरा
2. जसवंत सिंह आ. श्री छोटेलाल रघुवंशी आयु लगभग 68 वर्ष
3. लक्ष्मण सिंह आ. स्व. छोटेलाल रघुवंशी आयु लगभग 65 वर्ष दोनों निवासी-देवरी तहसील उदयपुरा जिला रायसेन म0प्र0 ........... उत्तर वादीगण

28/12/17

### आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 पुनरीक्षण याचिका मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता

महोदय,

अपीलार्थीगण माननीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय बरेली, श्रृंखला न्यायालय उदयपुरा जिला रायसेन

निरन्तर......2

बेंच न्यायालय



म0प्र0 की अपील प्रकरण कमांक 32/अपील/16-17 में उत्तरवादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 5 समय विधान अधिनियम एवं धारा 48 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में पारित आदेश दिनांक 13/10/2017 से व्यथित हो यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करते हैं :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय में उत्तरवादीगण का प्रकरण इस संक्षिप्त में इस प्रकार है -

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा.2018/0356

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 30-1-2019 | आवेदकगण अनुपस्थित । अनावेदकगण की ओर से श्री संजय सिंह, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-4-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । आवेदकगण को सूचना दिया जाये ।<br><br>अध्यक्ष | |